

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-467 / 14
संस्थापित दिनांक-21.08.2014
filling number 235103002752014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- गजराज सिंह पुत्र कमल सिंह उम्र 40 साल 2- कमल सिंह पुत्र परसादी उम्र 71 साल निवासीगण- ग्राम गोराकला चंदेरी जिला अशोकनगरआरोपीगण

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 23.06.2017 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 498(ए), 324/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि शादी के बाद से दिनांक 11.06.2014 के बीच थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम गौराकला में फरियादी श्रीमति लाडकुंवर बाई के पति व पति के नातेदार होते हुए फरियादी से दहेज की मांग कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा दिनांक 11.06.2014 को सुबह 9 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम गौराकला में फरियादिया लाडकुंवर बाई को अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उस आशय के अग्रसरण में फरियादिया की असन एवं भेदन धारदार उपकरण से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी लाडकुंवर बाई की शादी आरोपी गजराज सिंह से हुई थी। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त कमल सिंह, लाडकुंवर बाई के ससुर है। प्रकरण में यह उल्लेखनिय है कि फरियादी एवं आरोपीगण द्वारा राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध असमनीय होने से राजीनामा आवेदन निरस्त किया गया है।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी लाडकुंवर ने अपने भाई रामबाबू के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी शादी 15 साल पहले वैशाख के महीने में गजराम सिंह ग्राम गोरा के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। उसके 2 लडकी 1 लडका है। शादी के समय उसके पिता ने अपनी हैसियत से

दहेज में बर्तन, कपड़े, घंडी और 20 हजार रुपये नगद दिये थे। जब वह अपनी ससुराल में गई तो उसके ससुर कमलसिंह ने उससे कहा कि उसके दादा ने दहेज कम दिया है और पति गजराज कहने लगे कि तुम्हारे बाप ने दहेज में कम सामान दिया है, और परेशान करने लगे और प्रताड़ित किया करते थे।

04— जब वह अपने मायके आई और कम सामान व कम दहेज देने वाली बात अपने मायके वालों को बताई, भाई व पिताजी बोले की कमल सिंह से बात करके समझा देगे, उसके बाद वह अपनी ससुराल कई बार आई और गई उसे हरवार परेशान किया करते थे। दिनांक 11.06.2014 को सुबह 9 बजे उसके ससुर व पति ने कहा कि तुम अपने मायके से सामान लेकर आओ, फरियादिया ने कहा कि उनके पास रुपये नहीं हैं तो उसके पति ने उसकी लात घुसो से मारपीट की, ससुर खड़े खड़े देखते रहे और घर से निकाल दिया उसके बाद वह अपने मायके आ गई। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

05— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा शादी के बाद से दिनांक 11.06.2014 के बीच थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम गौराकला में फरियादी श्रीमति लाडकुंवर बाई के पति व पति के नातेदार होते हुए फरियादी से दहेज की मांग कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया ?
2.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 11.06.2014 को सुबह 9 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम गौराकला में फरियादिया लाडकुंवर को अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उस आशय के अग्रसरण में फरियादिया की असन एवं भेदन धारदार उपकरण से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

07— विचारणीय प्रश्न क्र. 1 व 2 एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। लाडकुअर बाई अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी कमल सिंह को जानती है वह उसके ससुर है। आरोपी गजराज सिंह को जानती है वह उसका पति है। उसकी शादी को 18 साल हो गये हैं। उसकी शादी गोरा सहराई गाँव में गजराज सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके ससुर व पति अच्छे से रखते थे, उसे किसी बात के लिये परेशान नहीं करते थे। करीब 3 साल पहले उसका उसके पति व ससुर के साथ घरैलू बातचीत पर से वाद विवाद हो गया था। उक्त बातचीत विवाद के दौरान धक्का मुक्की में स्वतः गिर जाने से उसे शरीर में चोट आ गई थी। उसने उक्त विवाद के संबंध में रंज में आकर थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई रिपोर्ट प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसे आई हुई चोटो का इलाज कराया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन लिये थे।

08— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी लाडकुअर बाई से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि करीब 3 साल पहले उसे उसके ससुर कमल सिंह और उसके पति ने यह कहकर ताने दिये थे कि तुम्हारे पिता ने दहेज में कम सामान दिया है और इसी बात पर मुझे उक्त लोग प्रताड़ित करते थे। इस बात से इंकार किया कि उसने कम दहेज देने एवं आरोपीगण द्वारा प्रताड़ित करने वाली बात अपने मायके में आकर अपनी मां, पिता, भाई को बताई थी। इस बात से इंकार किया कि दिनांक 11.06.14 को सुबह 9 बजे करीब उसे उसके ससुर व पति ने यह कहा था कि तुम अपने मायके से रुपये लेकर आओ।

09— लाडकुअर बाई अ0सा01 ने इस बात से इंकार किया कि उसके द्वारा रुपये लाने से मना करने पर उसके पति ने उसकी लात घुसो से मारपीट की थी। इस बात से इंकार किया कि उसे उक्त घटना के बाद उसके पति व ससुर ने ससुराल से निकाल दिया था। इस बात से इंकार किया कि उक्त घटना के कारण उसने अपने भाई के साथ जाकर थाना चंदेरी में दहेज की मांग कर आरोपीगण द्वारा प्रताड़ित करने की रिपोर्ट लेख कराई थी। स्वतः कहा कि घरैलू वाद विवाद पर कहा सुनी हो जाने के संबंध में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र.पी. 2 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसा कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकती।

10— लाडकुअर बाई अ0सा01 ने इस बात को स्वीकार किया कि वह वर्तमान में उसके पति के साथ अपनी ससुराल में स्वेच्छया निवास कर रही है। यह कहना सही है कि मेरे 3 बच्चे हैं। यह कहना सही है कि मेरा आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है मैं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती हूँ। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण असत्य कथन कर रही है।

11— रामबाबू अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। फरियादी लाडकुअर बाई उसकी बहन है। उक्त साक्षी ने बताया कि उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 3 साल पहले उसकी बहन का उसके पति के साथ घरेलू विवाद पर मौखिक वाद विवाद हो गया था तथा वर्तमान में उसकी बहन ससुराल में उसके पति व सास ससुर के साथ अच्छे से रह रही है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी स्वयं फरियादी लाडकुअर बाई अ0सा01 तथा उसके भाई साक्षी रामबाबू अ0सा02 द्वारा अभियोजन कहानी का कोई समर्थन न करते हुए फरियादी लाडकुअर बाई द्वारा वर्तमान में अभियुक्त गजराज सिंह जो उसका पति है एवं अपनी ससुराल में उसकी सास व अभियुक्त ससुर कमल सिंह के साथ रहना व्यक्त किया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 2 का ए से ए भाग न देना व्यक्त किया है। इसलिये उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

12— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। कि शादी के बाद से दिनांक 11.06.2014 के बीच थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम गौराकला में फरियादी श्रीमति लाडकुंवर बाई के पति व पति के नातेदार होते हुए फरियादी से दहेज की मांग कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा दिनांक 11.06.2014 को सुबह 9 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम गौराकला में फरियादिया लाडकुंवर बाई को अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उस आशय के अग्रसरण में फरियादिया की असन एवं भेदन धारदार उपकरण से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण **गजराज सिंह, कमल सिंह** को धारा 498(ए), 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

14— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल जप्त नहीं है।

15— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0